

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।

विषय :- विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों का 01.04.2026 तक बकाया विद्युत प्रभार के भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत रूप से वर्ष-2026-27 में विपत्र कोड-40-2029001040001 अन्तर्गत 1304 विद्युत प्रभार मद में ₹66,00,000/- (छियासठ लाख रुपये) मात्र के निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

2. बिहार स्टेट पावर (होलडिंग) कम्पनी लि० के पत्रांक-942, दिनांक-28.04.2026 के आलोक में क्षेत्रीय कार्यालयों का 01.04.2026 तक बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत रूप से South Bihar Power Distribution Company Limited को ₹33,00,000/- (तेतीस लाख) रुपये तथा North Bihar Power Distribution Company Limited को ₹33,00,000/- (तेतीस लाख) रुपये मात्र अर्थात् कुल **₹66,00,000/- (छियासठ लाख)** रुपये मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।
3. इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से की जाएगी। राशि को North Bihar Power Distribution Company Limited एवं South Bihar Power Distribution Company Limited के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी, जिसका विवरणी निम्नवत् है:-

(i).

Name of Accounts Holder	North Bihar Power Distribution Company Limited
Payee Name	North Bihar Power Distribution Company Limited
Bank	Canara Bank
Account No	110078090764
IFSC Code	CNRB0008531
Branch	Vidyut Bhawan Baily Road, Patna
Payee ID	KT0010225

(ii).

Name of Accounts Holder	South Bihar Power Distribution Company Limited
Bank	Punjab National Bank
Account No	0380000110142305
IFSC Code	PUNB0038000
Branch	Exhibition Road Patna
Payee ID	PT0008833

4. वित्तीय वर्ष-2026-27 में उक्त राशि का व्यय वहन मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-1304 विद्युत प्रभार व्यय के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।
5. राशि की निकासी के क्रम में एतद् संबंधी वित्त विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।
7. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
8. प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था0 (विद्युत प्रभार आवंटन)-16-01/2025-.....(4)/रा0पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, विद्युत भवन नेहरू पथ, पटना-800021 (Email. ID- cmdbsphcl@bihar.gov.in) को (उनके पत्रांक-942, दिनांक-28.04.2026 के प्रसंग में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि स्वीकृत राशि का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालयों के विद्युत विपत्रों के विरुद्ध ही किया जाए।

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था0 (विद्युत प्रभार आवंटन)-16-01/2025-.....(4)/रा0पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि:- सभी समाहर्ता, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/विभागीय प्रशाखा-5 'बजट शाखा' (आवंटन निर्गत करने हेतु)/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था0 (विद्युत प्रभार आवंटन)-16-01/2025-²⁸⁵.....(4)/रा0पटना-15, दिनांक-09-07-2026
प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।